

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

कमांक: एफ 8(11)त.शि./2006

जयपुर, दिनांक : 1 जून, 2018

::आदेश::

शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु कुल प्राप्त 10 शिक्षकों के आवेदन पत्रों की प्राचार्य स्तर पर जांच पश्चात प्रस्तुत प्रस्तावों में से निम्न शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए प्रशासनिक विभाग के आदेशांक 4(7)त.शि/2001 पार्ट दिनांक 22.7.2015 में अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के नियमों के अनुसार उच्च अध्ययन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

Department: Electronics and Communication Engineerign (ECE)

क्रम संख्या	शिक्षक का नाम एवं पदनाम	पाठ्यक्रम का नाम	अंशकालीन/ नियमित	टिप्पणी
1	Sh. Chetan Sewal	Ph.D.	FT(QIP)	अनुमति प्रदान की जाती है।
2	Sh. Kundan Rathore	Ph.D.	FT(QIP) & FT/PT (Non QIP)	अनुमति प्रदान की जाती है।
3	Sh. Arvind Sharma	Ph.D.	FT(QIP) & FT/PT (Non QIP)	अनुमति प्रदान की जाती है।
4	Sh. Pawan Kumar Inaniya	Ph.D.	FT(QIP) & PT (Non QIP)	<u>आरक्षित रखा गया है।</u>

Department: Computer Engineering (CE)

क्रम संख्या	शिक्षक का नाम एवं पदनाम	पाठ्यक्रम का नाम	अंशकालीन/ नियमित	टिप्पणी
1	Sh. Parvati Bhurani	Ph.D.	FT/PT(Non-QIP)	अनुमति प्रदान की जाती है।
2	Sh. Taruna Khemwani	Ph.D.	FT(QIP) & FT/PT (Non QIP)	अनुमति प्रदान की जाती है।
3	Sh. Mukesh Kumar Khandewal	Ph.D.	FT(QIP) & FT/PT (Non QIP)	अनुमति प्रदान की जाती है।
4	Ms. Meeta Sharma	Ph.D.	FT(QIP) & FT/PT (Non QIP)	आरक्षित रखा गया है।
5	Ms. Monalisa Meena	Ph.D.	FT/ PT (Non QIP)	आरक्षित रखा गया है।

Department: Information Technology (IT)

क्रम संख्या	शिक्षक का नाम एवं पदनाम	पाठ्यक्रम का नाम	अंशकालीन/ नियमित	टिप्पणी
1	Sh. Bhawana Maurya	Ph.D.	FT(QIP)&FT/PT(Non-QIP)	अनुमति प्रदान की जाती है।

समस्त प्रवक्तागण नियमानुसार प्राचार्य से अनुमति पश्चात उच्च अध्ययन हेतु कार्यमुक्त होकर जायेंगे।

आज्ञा से,

संयुक्त सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, तकनीकी शिक्षा।
- 2 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा।
- 3 ~~समस्त~~ प्राचार्य राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर।
- 4 रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, त.शि.